INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ARINDAM PANDEY
ACC CODE: UP14258204, Lic. No.: 801
ADD: SORAON, PRAYAGRAJ, Mob.-7752969304
TEH.: SORAON, PRAYAGRAJ

IV - 180/22

Certificate No.	:	IN-UP76778031962613U
Certificate Issued Date	:	13-Dec-2022 11:43 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14258204/ SORAON/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14258204467997028915 93U
Purchased by	:	DIRECTOR DHIRENDRA KUMAR PANDEY
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	HEERA FOUNDATION, MORE DETAILS AS PER DEED.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DIRECTOR DHIRENDRA KUMAR PANDEY
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DIRECTOR DHIRENDRA KUMAR PANDEY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

Please write or type below this line

JD 0000456766

Statutory Alert:
The authenticity of this stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

हीरा फाउण्डेशन चैरिटेबल ट्रस्ट

यह चैरिटेबल संस्थान दिनांक 13.12.2022 ई0 को धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामदुलारे पाण्डेय, निवासी मलाक हरहर, तहसील सोरांव जनपद प्रयागराज संस्थापक के रूप में स्थान प्रयागराज में इण्डियन चैरिटेबल ट्रस्ट 1882 के अन्तर्गत लोक हितकारी एवं परमार्थ कार्य हेतु हीरा फाउण्डेशन नाम से एक न्यास की स्थापना की गई जिसके अनुसार निम्नलिखित संस्थापक ट्रस्टी होगें।

नाम	पिता का नाम	पता	पद
धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	श्री राम दुलारे पाण्डेय	मलाक हरहर सोरांव प्रयागराज	संस्थापक सदस्य आधार संख्या xxxx xxxx 6726

हीरा फाउण्डेशन – नाम के न्यास के संचालन हेतु संस्थापक सदस्यों द्वारा रू0 10,000/– (दस हजार रूपये) की निधि स्थापित की गयी है। जो न्यास की सुरक्षित निधि के रूप में न्यास के संचालन हेतु प्रयुक्त होगी। न्यास का संचालन निम्न उद्देश्यों व नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

हीरा फाउण्डेशन के कार्य व दस्तावेज

1. **न्यास का नाम** : हीरा फाउण्डेशन
2. **न्यास का पंजीकृत** : महरूडीह, शिवपुर, प्रयागराज उ0प्र0
   : अन्य स्थानों पर समय–समय पर जैसा संस्थापक
   : न्यासी निर्णय ले
3. **न्यास का क्षेत्र** : सम्पूर्ण भारत खण्ड एवं अन्तर्राष्ट्रीय खण्ड।
4. **न्यास के उद्देश्य** : न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होगे :–

1. शैक्षिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टि से गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा सफाई व जनजागरण अभियान चलाना व उक्त हेतु सेमीनार, कान्फ्रेन्स, वर्कशाप और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्य करना।

आवेदन सं०: 202200888017697

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 180 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री राम दुलारे पाण्डेय

निवासी: मलाक हरहर सोरांव प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री लाल चन्द्र शुक्ल, पुत्र श्री रमाशंकर शुक्ल

निवासी: ग्राम बारी तहसील सोरांव जनपद प्रयागराज

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री अशोक कुमार तिवारी, पुत्र श्री देवता प्रसाद तिवारी

निवासी: शान्तीपुर फाफामऊ तहसील सोरांव जनपद प्रयागराज

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सरोज
उप निबंधक : सोराँव
प्रयागराज
14/12/2022

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।
टिप्पणी :

बृजेश श्रीवास्तव .
निबंधक लिपिक प्रयागराज
14/12/2022

प्रिंट करें

2. प्रत्येक तरह के प्राथमिक, उच्चप्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान व विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विद्यालय व विश्वविद्यालय मदरसा, रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण संस्थान, पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना ।

3. निःशुल्क विधिक सहायता व परामर्श हेतु ज्यादा से ज्यादा लोगों को विधि एवं कानून की शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय की स्थापना करना व जरूरतमंद व्यक्तियों संस्थाओं समूहों को विधिक सहायता प्रदान करना ।

4. बाल श्रम को रोकने व महिला कल्याण हेतु सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर ग्रामोद्योग व हस्तशिल्प सहित प्रत्येक क्षेत्रों में उन्हें सामाजिक बराबरी व स्वावलम्बन के लिए पुनर्वास केन्द्र व संस्थान स्थापित करना।

5. रक्षक या प्रहरी कमेटियों की स्थापना करना व मानव अधिकार और नागरिकता स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सिविल सोसायटी का गठन कर जागरूकता अभियान चलाना ।

6. ग्रामीण समाज व मलिन बस्तियों के स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, शिक्षा, और कृषि पंचायत महिला समस्या, पानी की स्वच्छता, और मृदा संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट को बनाना व समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना।

7. सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के पोषण हेतु दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन को वितरण करने बनाने का प्रबंध करने हेतु आवश्यक कार्य व प्रबंध करना।

8. कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बिना लाभ के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों को पुननिर्माण व उन्हें पुनर्जीवित करना।

9. शोधरत व अध्ययनरत छात्रों के लिए आवश्यकता अनुसार कोचिंग, पुस्तकालय, व छात्रावास आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।

10. संस्थापक न्यासी के परामर्श से समान उद्देश्यों वाले किसी भी ऐसे न्यास सोसायटी, या संस्थान से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों को चलाना व सहायता देना व प्राप्त करना।

11. नदियों, जलाशयों, तालाबों, कुओं जल श्रोतों का रख रखाव संरक्षण व स्व–जल धारा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी उपलब्ध कराना।

12. पुस्तकालयों वाचनालयों, शिक्षालयों एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना व प्राचीन पाण्डुलिपियों का संरक्षण करना।

आवेदन सं०: 202200888017697

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 180 वर्ष: 2022

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ,
पुत्र श्री राम दुलारे पाण्डेय
व्यवसाय : अन्य
निवासी: मलाक हरहर सोरांव प्रयागराज

धीरेन्द्र

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 14/12/2022 एवं 02:51:31 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सरोज
उप निबंधक :सोराँव
प्रयागराज
14/12/2022

बृजेश श्रीवास्तव .
निबंधक लिपिक
14/12/2022

प्रिंट करें

13. पर्यावरण संरक्षण व ग्लोबल वार्मिंग रोकने हेतु सेमिनार, संगोष्ठी कार्यशाला आदि का आयोजन कर समाज में जागृति फैलाना।

14. उद्यमिता विकास व तकनीकी प्रशिक्षण व स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु कालेज व संस्थान खोलना व उक्त हेतु कार्य करना।

15. विज्ञान संस्कृति, साहित्य, नाट्य कला, चित्रकला, अभिनय संगीत का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना व उसके संवर्धन हेतु प्रयास करना।

16. विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं गीतों संगीत नौटंकी का संरक्षण व संवर्धन करना । राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा हेतु संस्थानों की स्थापना कर उन्हें बचाना। सामाजिक शांति, व सद्भावना हेतु कार्य करना ।

17 युवाओं के नेतृत्व व व्यक्तित्व विकास हेतु खेलकूद प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेन्ट, दंगल आदि का आयोजन करना ।

18. विधवाओं, विकलांगों वृद्धों के कल्याण व जीवन निर्वाह हेतु अनाथालयों व वृद्धाश्रमों व आश्रय स्थलों का निर्माण करना व जन सहयोग से उनकी सहायता करना।

19. महिलाओं पर हो रहे अन्याय शोषण व अत्याचार के विरूद्ध जन जागरूकता फैलाना व उनके मानसिक, बौद्धिक विकास हेतु कार्यक्रम चलाना ।

20. स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविरों, नशाखोरी से मुक्ति व एड्स फैलने से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना व स्वास्थ्य केन्द्रों व स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।

21. गरीबों के जन कल्याण के लिए निर्धन परिवार के बच्चों के लिए सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन करना।

22. आयुर्वेद व भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के उन्नयन प्रचार प्रसार तथा शोध और चिकित्सा हेतु कार्य करना।

23. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ, सूखा व भूकम्प दुर्घटना आदि में पीड़ित जनों का सहायता पहुँचाना।

24. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की सम्पत्तियों को रेहन/गिरवी/बन्धक रखकर बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना साथ ही जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य की सहमति से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की सम्पत्तियों की बिक्री करना आदि।

25. उपर्युक्त समस्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार राज्य सरकारों, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से देश एवं विदेश के दान दाताओं, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से अनुदान, दान, चन्दा तथा ऋण आदि प्राप्त करना तथा उद्देश्यों के अनुरूप व्यय करना ।

26. न्यास के माध्यम से पूरे विश्व के ऐसे व्यक्तियों जिनका कोई सहारा न हो व जिनकी मृत्यु के उपरांत भारतीय जीवन शैली या पद्धति के अनुसार कर्म काण्ड व यहाँ की नदियों गंगा, यमुना या धार्मिक स्थलों प्रयाग काशी, हरिद्वार या अन्य स्थलों में अपनी अस्थियों को विसर्जित करने की इच्छा हो और वे अपनों के न होने, समय या दूरी के अभाव में स्वयं या परिवार को अक्षम महसूस करते हों तो उनके सहायतार्थ न्यास द्वारा सुविधाएं व प्रयोजन को पूरित करने हेतु कार्य करना ।

27. हीरा फाउन्डेशन, समाज की ऐसी शोषित, पीड़ित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा, जो किन्हीं कारणों से विवशता में वैश्यावृत्ति या अन्य कार्य में संलग्न हो गयी हैं । न्यास ऐसी महिलाओं के उद्धार व कल्याण हेतु कार्य करेगा व उनके बच्चों के शिक्षण व सम्मान हेतु पुनरूद्धार कार्यक्रम चलाएगा।

28. हीरा फाउन्डेशन समाज सेवी रामदुलारे पाण्डेय के कृतित्व व्यक्तित्व, शैक्षिक व उनके समाज सेवा के कार्यों के प्रचार व प्रसार व संरक्षण हेतु कार्य करेगा व उनके द्वारा संस्थापित समस्त समितियों व संस्थानों विद्यालयों के समस्त कार्यों एवं गतिविधियों का प्रमुख प्रभारी व कार्यवाहक संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

29. इण्डियन चौरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत ये सभी कार्य करना जो नियमानुसार सद्भावना परमार्थ सेवा, शिक्षा व कल्याण के अनुरूप हो।

धीरेन्द्र

5. न्यास के संस्थापक न्यासियों, प्रबंधकारिणी समिति (न्यासी मण्डल) के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद व व्यवसाय ।

क्र. सं.	नाम तथा पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र– श्री रामदुलारे पाण्डेय	मलाक हर हर, सोरांव, प्रयागराज	अध्यक्ष	एडवोकेट
2.	सीमा देवी पत्नी/पुत्री– रविन्द्र कुमार	चाकेया घराहरा, सहसों, प्रयागराज	कोषाध्यक्ष	समाज सेविका

हम उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता पदधारक व संस्थापक न्यासी घोषित करते हैं कि हमने इंडियन चौरिटेबल न्यास एक्ट के अंतर्गत नियमावली में प्रदत्त कार्य शक्ति अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार एक व्यास का गठन किया है।

संस्थापक न्यासी के नाम व हस्ताक्षर

गवाहों/साक्षी के नाम **हस्ताक्षर**

1. .....

.....

2. .....

.....

मसविदा कर्ता– अशोक कुमार तिवारी

अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, प्रयागराज

हीरा फाउन्डेशन न्यास का संविधान व नियमावली

1. **न्यास का नाम** : हीरा फाउन्डेशन

2. **न्यास का पंजीकृत** : महरूडीह, शिवपुर, प्रयागराज, उ0प्र0

: अन्य स्थानों पर समय–समय पर जैसा संस्थापक न्यासी निर्णय लें।

3. **न्यास का क्षेत्र** : सम्पूर्ण भारत खण्ड एवं अन्तर्राष्ट्रीय खण्ड।

4. **न्यास के उद्देश्य** : न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

5. (1) **संरक्षक सदस्य**– देश व समाज के ऐसे संभ्रांत व्यक्ति जिन्हें संस्थापक न्यासी इस आधार पर मनोनीत करेंगे कि उनका समाज निर्माण में विशिष्ट योगदान हो। वे न्यास के माध्यम से उसके उद्देश्यों के अनुसार अपना योगदान देने हेतु सहमत हो और उनके कृतित्व व्यक्तित्व, सामाजिक कार्य व्यवहार से अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। संरक्षक सदस्य, न्यास के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख होंगे और उनका निर्देशन व परामर्श प्रत्येक कार्यों हेतु आवश्यक होगा।

5. (2) **संस्थापक सदस्य व संस्थापक न्यासी** : न्यास की संस्थापना करने वाले न्यास के मसौदे में प्रथम पृष्ठ में उल्लिखित संस्थापक सदस्य के रूप में एक सदस्य ही संस्थापक सदस्य व संस्थापक न्यासी होंगे। जो जीवन पर्यन्त रहेंगे जब तक कि स्वेच्छा से त्याग पत्र न दे दें।

5. (2) क – **संस्थापक न्यासियों के रिक्त पद पर नियुक्ति का प्रावधान व उनके अधिकार** :– संस्थापक न्यासियों द्वारा पद रिक्त होने पर उन स्थानों पर संस्थापक न्यासियों द्वारा लिखित नियुक्ति, इच्छा या नामांकन के द्वारा पद भरा जाएगा। यदि ऐसा कोई लेख नहीं लिखा है तो परिवार उत्तराधिकार के अंतर्गत उनके निजी परिवार में से किसी एक को न्यासी बनाया जायेगा। अध्यक्ष पद पर संस्थापक अध्यक्ष के परिवार के अतिरिक्त कदापि किसी को नामित नहीं किया जा सकेगा। संस्थापक न्यासी द्वारा अपने जीवन काल में या उसके बाद नियुक्त या नामांकित न्यासी के वही अधिकार व कर्तव्य होंगे जो संस्थापक न्यासी के कार्य एवं उत्तरदायित्व होंगे और जो इस दस्तावेज में उल्लिखित है।

धीरेन्द्र

5. (2) ख न्यास के दस्तावेजों का संरक्षण व अधिकारः– न्यास से संबंधित सभी दस्तावेज, लेखा पुस्तक अभिलेख, प्रमाण पत्र व संपति से संबंधित प्रपत्र न्यास के अध्यक्ष व आधिपत्य में सुरक्षित रहेंगे। अध्यक्ष द्वारा अन्य किसी पदाधिकारी व सदस्य को सुरक्षित रखने का अधिकार देने पर एक निश्चित समय के लिए ही वह अभिलेख उसके पास रहेंगे। तदन्तर पुनः वह अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। यदि इस बीच संस्थापक न्यासी और अध्यक्ष में बदलाव होता है तो न्यास संबंधी ये अभिलेख और दस्तावेज अन्य संस्थापक न्यासियों के नियंत्रण में या उनकी सहमति से संस्थापक अध्यक्ष के पदधारक के पास सुरक्षित रहेंगे।

5. (3) न्यासीः– न्यास के संचालन के लिए संस्थापक न्यासी एक सदस्य होगा। हीरा फाउण्डेशन में संस्थापक 1(एक), न्यासियो के अतिरिक्त 1 अन्य सदस्य प्रबंधन न्यासी होगे। भविष्य में आवश्यकता पडने पर संस्थापक सदस्य (अध्यक्ष) न्यास के कार्यो के लिए संरक्षक सदस्य, सामान्य सदस्य या विशिष्ठ सदस्यो को नियुक्ति करके प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा का गठन कर सकता है।

5. (4) विशिष्ट सदस्य : संस्थापक सदस्य की लिखित अनुमति से न्यास के सिद्धान्तों व संविधान में विश्वास रखने वाले वे व्यक्ति जो 10000/– (दस हजार रू) एक बार में न्यास को दान स्वरूप देंगे यह न्यास के विशिष्ट सदस्य होंगे। संस्थापक सदस्य न्यास के कार्यक्रमों के संवर्धन व उन्नयन की दृष्टि से आवश्यकतानुसार केवल पांच वर्षों के लिए ऐसे विशिष्ट सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे जो धन देने में अक्षम हों किन्तु उनके कृतित्व व व्यक्तित्व से न्यास को लाभ हो।

5. (5) सामान्य सदस्य : संस्थापक सदस्य की लिखित अनुमति से न्यास के सिद्धान्तों व संविधान में विश्वास रखने वाले ये व्यक्ति जो 1000/– (एक हजार) प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क देंगे यह सामान्य सदस्य होंगे संस्थापक सदस्य न्यास के कार्यक्रमों के संवर्धन व उन्नयन की दृष्टि से आवश्यकतानुसार केवल पांच वर्षों के लिएऐसे सामान्य सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे जो धन देने में अक्षम हो किन्तु उनके कृतित्व व्यक्तित्व से न्यास को लाभ हो न्यास की सामान्य सदस्यता वार्षिक होगी। सदस्यता का

नवीनीकरण अगले छः माह में न कराने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी और इस विषय पर अन्य तरीके से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

5. (6) सदस्यता विषयक अन्य विधिक उपबन्धः– न्यास की सदस्यता का अर्थ संस्थापक सदस्य, संरक्षक सदस्य विशिष्ठ सदस्य व सामान्य सदस्य है ऐसे सदस्यो की नियुक्ति केवल 5 वर्ष के लिए की जायेगी किन्तु प्रत्येक दशा में में सदस्यता की समय सीमा न्याय के पंजीकरण तिथि के 5 वे वित्तीय वर्ष के समापन 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी। जिसका नवीनीकरण छः माह में नहीं करा लेने पर पूरी तरह से सदस्यता समाप्त मानी जाएगी और उस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

5. (7) सदस्यता की समाप्तिः– निम्न परिस्थितियों में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

1. असंतुलित दिमाग या पागल या दिवालिया या अक्षम हो जाने पर।
2. न्यास के संविधान व सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने पर
3. न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने व अपराध में दंडित होने पर। सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
4. सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
5. संस्थापक न्यासियों द्वारा निष्कासित किए जाने पर।
6. आर्थिक कदाचार में शामिल हाने पर संस्थापक न्यासियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निकाले जाने पर।
7. त्याग पत्र देने पर।

6. न्यास के अंग :–

1. मार्गदर्शक व संरक्षक समिति
2. प्रबंधकारिणी समिति साधारण सभा
3. साधारण सभा

6. (1) मार्गदर्शक व संरक्षक समिति के अधिकार व कर्तब्यः– न्यासी एवं संरक्षक सदस्य की गठित समिति मार्गदर्शक व संस्थापक एक सदस्यीय संरक्षक समिति होगी, व आगे जहाँ भी संस्थापक न्यासी का जिक होगा वहीं इसका अर्थ मार्गदर्शक व संरक्षक समिति से होगा। प्रबन्ध कारिणी समिति व साधारण सभा मार्गदर्शक व संरक्षक समिति के अधीन होगी। मार्गदर्शक व संरक्षक समिति द्वारा प्रति 5 वर्ष के लिए प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जबकि साधारण सभा प्रति वर्ष प्रत्येक तरह के सदस्यों को मिलाकर बनाई जाएगी किन्तु जब तक संस्थापक न्यासी पूर्णतया संतुष्ट न हो एवं इस तरह का प्रस्ताव न आए तब तक इसकी कुल संख्या अधिकतम (2) होगी। मार्गदर्शक व संरक्षक समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रबंध कारिणी समिति व साधारण सभा को भंग किया जा सकेगा। न्यास के लिए भूमि व अन्य चल–अचल संपत्तियों खरीदने का अधिकार संस्थापक न्यासियों में निहित रहेगा। साथ ही संस्थापक न्यासियों पास यह अधिकार व शक्ति होगी कि किसी प्रकार की संपत्ति को खरीदने खड़ा करने बनाने, बेचने या किसी प्रकार की भूमि विल्डिंग वर्कशाप प्रापर्टी या संपत्ति की किसी भी प्रकार से हटाने या समाप्त करने का अधिकार होगा बशर्ते कि न्यासियों का यह कार्य न्यास के हितों के विपरीत न हो। मार्गदर्शक व संरक्षक समिति संस्था के किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाने में सक्षम होगी व उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। न्यास के संबंध में अन्य विवाद की दशा में बिना संस्थापक न्यासियों की अनुमति से न्यास का कोई सदस्य न्यायिक दीवानी, फौजदारी, आदि का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा सकेगा। मार्गदर्शक व संरक्षक समिति की सर्वोच्च कार्यकारी व सर्वाधिकार से युक्त संस्था होगी जो केवल न्यास के हितों के लिए उत्तरदायी होगी। संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं वित्तीय संस्थानों निजी व सामुदायिक सदस्यों व संस्थानों से सहायता प्राप्त करना मार्गदर्शक व संरक्षक समिति अधिकार क्षेत्र में होगा संस्थापक न्यासी नगद या संपत्ति या काइन्स के रूप में अन्य वस्तुएं किन्हीं व्यक्तियों से, कंपनी निगम संगठन, संख्या या किन्हीं न्यास से न्यास के उद्देश्यों को पूरित करने के लिए स्वीकार कर सकेंगे। संस्थापक न्यासी न्यास की ओर से किसी भी संपत्ति को नियमानुसार अपने पास रख सकता है। संस्थापक न्यासी न्यास की किन्हीं चल या अचल

संपत्तियों को कुछ समय या एक निश्चित समय के लिए अनुबंध के आधार पर मासिक किराए पर दे सकेगा जिसका प्रबंधन नियत अवधि व शर्को के अधीन संस्थापक न्यासी द्वारा अपने विवकानुसार निर्णीत किया जा सकेगा संस्थापक न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वह न्यास के कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी अनुबंध को कर सकेगा व विशेषज्ञों की नियुक्ति निष्कासन कर सकेगा। ऐसे अनुबंध/प्रमाण पत्र व दस्तावेज सभी प्रभावकारी होंगे जब संस्थापक न्यासी उसे हस्ताक्षरित करें व कियादित करें। संस्थापक न्यासी किन्ही भी तरह के विवादों में अपना फैसला देंगे और न्यास के उचित कार्यों के लिए किसी को जवाबदेह नहीं होंगे। संस्थापक न्यासी न्यास के कार्यों में होने वाले व्यय की भरपाई कर सकते हैं परन्तु वे किसी मानदेय के अधिकारी नहीं होंगे। संस्थापक न्यासी, न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/केन्द्रों/आवासीय परिसरों के लिए नियम व कानून बना सकता है जो सभी संस्थानों/केन्द्रों पर कार्यरत रहने वालों के आचरण के लिए जरूरी हो। संस्थापक न्यासी नियमों में संशोधन करने सुधारने बदलने के लिए स्वतंत्र है, जिससे संस्थानों पर अनुशासन कायम किया जा सके।

6. (2) प्रबंध कारिणी समिति (न्यासी मण्डल) का गठन व उसके अधिकार व कर्तव्य – प्रबंध कारिणी समिति का गठन संस्थापक न्यासियों विशिष्ट सदस्यों व सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा। यह मार्गदर्शक व संरक्षक समिति के अधीन कार्य करेगी। इसमें एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, कुल 2 पदाधिकारी होंगे। प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों को कार्य आवंटन न्यास के हितों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थापक न्यासी करेंगे। प्रबंधकारिणी समिति की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार बुलाई जाएगी। आवश्यकतानुसार विशेष बैठकें कभी भी अध्यक्ष द्वारा सूचना देने पर बुलाई जा सकेगी। सामान्य बैठक की सूचना सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना चौबीस घंटे पूर्व दी जा सकेगी। गणपूर्ति के लिए प्रबंधकारिणी सदस्यों में से 2 (दो) सदस्यों की उपस्थिति को कोरम पूर्ण माना जाएगा। स्थगित बैठक पुनः तीन दिन की सूचना पर बुलाई जा सकती है, जिसमें पूर्व एजेण्डा पर बिना गणपूर्ति के निर्णय लिए जा सकेंगे। प्रबंध समिति में आकस्मिक रिक्तियों के होने की दशा में उस स्थान पर संस्थापक न्यासियों द्वारा सामान्य या विशिष्ट सदस्यों में से नए पदाधिकारियों की नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए की जा सकेगी।

धीरेन्द्र

6. (3) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः– समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर गठित समिति साधारण सभा होगी। साधारण सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसकी बैठक वर्ष में एक बार संस्थापक सदस्यों की सहमति से होगी। कोरम समस्त सदस्यों का एक तिहाई होगा। बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को पन्द्रह दिन पूर्व प्रदान की जाएगी। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति निर्धारण करना और उसका नियमानुसार क्रियान्वयन करना। न्यास की उप समितियों के गठन के लिए संस्थापक न्यासियों को परामर्श देना आवश्यकता पड़ने पर न्यास के संविधान में संस्थापक न्यासियों की राय से संशोधन का प्रस्ताव लाना व उसका अनुमोदन करना। कार्यकाल पूर्ण होने पर न्यास की प्रबंध समिति का चुनाव में संस्थापक न्यासियो की सहायता करना।

7. न्यासी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

7. (1) **अध्यक्ष** न्यास का अध्यक्ष संस्थापक न्यासी होगा। कार्यपालक प्रशासक कार्यकारी अधिकारी होगा। न्यास द्वारा अध्यक्ष न्यास का मुख्य संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों व कार्य उसके हस्ताक्षर से प्रतिपादित होंगे। अध्यक्ष न्यास के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार उपसमितियों गठित कर सकेगा व उन पर नियंत्रण रखेगा। न्यास के कार्यों के लिए नीति निर्धारण करना संविधान संशोधन करना दान अनुदान चंदा छात्रवृत्ति प्राप्त करना मान्यता हेतु आवेदन करना, भूमि कय करना, बेचना, उसे रेहन व गिरवी रखना स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना कर्मचारियों की नियुक्ति निलंबन व निष्कासन करना आदि कार्य अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र व अधिकार में होगा। साधारण सभा व प्रबंध कारिणी समिति की अध्यक्षता करना व आवश्यक होने पर वह निर्णायक मत वह दे सकेगा। किसी भी पदाधिकारी द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य या आचरण करने पर अध्यक्ष उसे पदच्युत या न्यास से निष्कासित कर सकेगा। किसी कार्य हेतु एक निश्चित अवधि के लिए प्रबंध कारिणी समिति को उत्तरदायित्व सौंप कर उनसे कार्य लेगा। अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी स्वयं घोषित व नियुक्त कर सकेगा, जिसके अधिकार उसकी अनुपस्थिति में न्यास के दस्तावेज के अनुसार पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य के अनुसार होंगे संस्थापक

धीरेन्द्र

न्यासियों की सहमति व परामर्श से वह न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन आवंटित कर सकेगा व इस हेतु उप समितियों को उत्तर दायित्व सौंप सकेगा।

7.(2) कोषाध्यक्षः– न्यास का कोषाध्यक्ष संस्थापक न्यासी द्वारा ही नियुक्ति होगा। जो प्रसादपर्यन्त तक ही होगा। वह दान अनुदान, चंदा सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करेगा व न्यास के खाते में जमा कराएगा यदि धन निकाला भी जायेगा तो अध्यक्ष की हस्ताक्षर से न्यास की निधि निकलेगी। कोषाध्यक्ष आय–व्यय विवरण समय–समय पर कार्यकारिणी के सामने प्रस्तुत करेगा। उसका पूरा उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होगा कोष का लेखा–जोखा कैश बुक रजिस्टर व संबंधित रिकार्ड वह रखेगा व न्यास के आय–व्यय के लिए वह नियुक्त आय व्यय निरीक्षक या चार्टेड एकाउन्टेन्ट को उपलब्ध कराएगा।

5. **अन्य विधिक उपबन्ध** उद्देश्य की कमी के कारण यदि न्यास का काम प्रभावित होता है औरयदि यह इन्कम टैक्स नियम 1961 के अंतर्गत नहीं पाया जाता या यह चौरिटेबल न्यास के रूप में अपने ही किन्ही नियमों में अंतर्विरोध करता है या उद्देश्य की कमी के कारण यह असफल होता है तो संस्थापक न्यासी, न्यास के उद्देश्यों में संशोधन या बदलाव कर सकते हैं। संस्थापक न्यासी न्यास की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इस हेतु उसकी लापरवाही साबित नहीं हो जाती संस्थापक न्यासी को यह अधिकार होगा कि यह अपने जीवन काल में या उसके उपरांत समान विचारधारा, उद्देश्यों या नीतियों वाली दूसरे न्यासों में हीरा फाउन्डेशन न्यास को या दूसरे न्यासों को हीरा फाउन्डेशन न्यास में समाहित कर सकेगी ।

6. (1) कानूनी वाद– प्रत्येक तरह के कानूनी वाद यथा न्यास द्वारा या उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही संस्थापक न्यासियों व अध्यक्ष की और से लिखित सहमति के उपरांत प्रबंधक/मंत्री द्वारा नियुक्त न्यास के विधिक परामर्शदाता द्वारा चलाए जाएंगे। न्यास से संबंधित समस्त तरह के वादों का न्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा। यदि सस्थापक न्यासियों के अतिरिक्त अन्य न्यासी, न्यास के विरूद्ध कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध भी वाद संस्थित किया जा सकेगा ।

6. (2) आय व्यय निरीक्षण न्यास का आय व्यय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा कराया जाएगा ।

6. (3) बैंक का खाता– न्यास का बैंक का खाता किसी एक या अधिक राष्ट्रीय बैंक में अध्यक्ष के हस्ताक्षर से खोला जाएगा, जैसा कि संस्थापक न्यासी समय–समय पर निर्णय लेंगे। न्यास का प्रत्येक पैसा न्यास के खाते में जमा व दर्ज होगा। न्यास के अध्यक्ष दूसरे अन्य खाताओं के लिए यदि आवश्यक समझेंगे तो संस्थापक न्यासी न्यास और से अन्य पदाधिकारी को लिखित रूप में अधिकृत कर सकेंगे।

6. (4) न्यास के अभिलेख सदस्यता रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर नियमावली राबा पंजीयन संबंधी दस्तावेज, स्टाक रजिस्टर, पत्राचार रजिस्टर आदि अध्यक्ष के पास रहेंगे कोष संबंधी समस्त अभिलेख यथा कैश बुक कैश रसीद बाउचर फाइल चेक बुक पास बुक. इत्यादि पत्राजात कोषाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे।

6 (5) **विघटन** ट्रस्ट का विघटन इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार किया जाएगा ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में दायित्वों के निपटारे के संबंधित अन्य संपत्ति अन्य समुद्देशीय न्यास के संस्थापकों को संस्थापक सदस्यों के बहुमत के आधार पर अंतरित किया जा सकेगा ।

न्यास पत्र का स्टाम्प शुल्क मु0 1000=00 (Estamp No. IN-UP76778031962613U dated 13-12-2022) अदा है।

संस्थापक न्यासियों के नाम व हस्ताक्षर

गवाहों/साक्षी के नाम

गवाह : 1

लाल चन्द्र शुक्ल पुत्र रमाशंकर शुक्ल
निवासी ग्राम बारी, तहसील सोरांव
जनपद प्रयागराज
पेशा वकालत, मो0नं0 9956824987
रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी 10573/2003

गवाह : 2

अशोक कुमार तिवारी पुत्र देवता प्रसाद तिवारी
निवासी शान्तीपुर, फाफामऊ
तहसील सोरांव जनपद प्रयागराज
पेशा वकालत, मो0नं0 9453423523
रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी 6165/09

स्टाम्प नियमानुसार अदा है।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर गवाह 1

हस्ताक्षर गवाह 2

मसविदाकर्ता :– अशोक कुमार तिवारी एडवोकेट
UP 6165/09

टाईपकर्ता :–

दिनांक :–14.12.2022 ई0

आवेदन सं०: 202200888017697

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 56 के पृष्ठ 323 से 354 तक क्रमांक 180 पर दिनाँक 14/12/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार सरोज
उप निबंधक : सोराँव
प्रयागराज
14/12/2022